राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर

क्रमांक : लेखा–18 ( )/भौति. सत्या./2014–15/1703 दिनांक : 18-9-2014

समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।

विषय :–भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के लम्बित आक्षेपों की अनुपालना प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय निरीक्षण विभाग राजस्थान द्वारा भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों पर विचार विर्मश हेतु दिनांक 29–09–2014 को निरिक्षण विभाग में कैम्प आयोजित किया गया है। .

अतः निर्देशित किया जाता है कि आपके कार्यालय तथा अधिनस्थ कार्यालयों के जिन प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना अभी तक निदेशक, निरीक्षण विभाग प्रेषित नही की गई है आवश्यक रूप से तथा अन्य प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेप जिनकी आक्षेपानुसार अनुपालना की जा चुकी है अर्थात आक्षेप निरस्त योग्य प्रतीत लग रहा हो उनकी अनुपालना समस्त Supporting Document प्रपत्र (जैसे जमा की रसीद, स्वीकृति, तथ्यों की पुष्टि हेतु जोन कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी का प्रमाण पत्र इत्यादि।) संलग्न किये जाकर दिनांक 24–09–2014 को नियन्त्रण अधिकारी की टिप्पणी अंकित की जाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पत्रावली सहित व्यक्तिशः लेखाकर्मी के साथ भिजवाना सुनिश्चित करें।

यदि किसी प्रतिवेदन की प्रथम अनुपालना अभी भी प्रस्तुत नही की गई तो कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही मानते हुएं सम्बन्धित कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकती है।

वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : लेखा–18 ( )/भौति. सत्या./2014–15/1703 दिनांक : 18-9-2014

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, निरीक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. समस्त सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार कार्यालय संयुक्त निदेशक, चि. एवं स्वा. सेवाएं–जोन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभाग की बेवसाईड पर अपलोड करने का श्रम करें तथा सम्बन्धित कार्यालय को मेल भी भिजवायें।

वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर